



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 12 जुलाई, 2007 ई0

आषाढ़ 21, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1108/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007

देहरादून, 12 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2007 पर दिनांक 12 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 02, सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2007

(अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2007)

31 मार्च, 2008 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2007 है।

संक्षिप्त नाम

उत्तराखण्ड की
समेकित निधि में
से वर्ष 2007-
2008 के लिये
रु0
11,128,22,78,000
.00 का दिया जाना

2-उत्तराखण्ड की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2007 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2007) की अनुसूची के स्तम्भ-7 से 10 में विनिर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके रुपये 11,128,22,78,000.00 (ग्यारह हजार एक सौ अठ्ठाईस करोड़ बाईस लाख अठहत्तर हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
1	2	3			
01.	विधान सभा	राजस्व	107757	7788	115545
		पूँजी	20000		20000
02.	राज्यपाल	राजस्व		28030	28030
		पूँजी		0	0
03.	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	569111		569111
		पूँजी	0		0
04.	न्याय प्रशासन	राजस्व	474519	127942	602461
		पूँजी	100000		100000
05.	निर्वाचन	राजस्व	131210		131210
		पूँजी	0		0
06.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	2795880	9716	2805596
		पूँजी	465100		465100
07.	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	11534646	12624248	24158894
		पूँजी	1392001	4951594	6343595
08.	आबकारी	राजस्व	47856		47856
		पूँजी	1000		1000
09.	लोक सेवा आयोग	राजस्व		41914	41914
		पूँजी			0
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व	3465608		3465608
		पूँजी	497600		497600
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	16203613		16203613
		पूँजी	1135500		1135500
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	3617372		3617372
		पूँजी	1522921		1522921
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	4527688		4527688
		पूँजी	45002		45002

1	2	3		
14.	सूचना	राजस्व	143546	143546
		पूँजी	0	0
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व	2635230	2635230
		पूँजी	105763	105763
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	631561	631561
		पूँजी	109530	109530
17.	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	2230120	2230120
		पूँजी	60200	60200
18.	सहकारिता	राजस्व	182720	182720
		पूँजी	110000	110000
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	2960059	2960059
		पूँजी	762900	762900
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	1854104	1854104
		पूँजी	4238128	4238128
21.	ऊर्जा	राजस्व	152849	152849
		पूँजी	3674407	3674407
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	3187675	40479 3228154
		पूँजी	6317901	6317901
23.	उद्योग	राजस्व	540490	540490
		पूँजी	687312	687312
24.	परिवहन	राजस्व	299994	299994
		पूँजी	644721	644721
25.	खाद्य	राजस्व	317417	317417
		पूँजी	97430	97430
26.	पर्यटन	राजस्व	271225	271225
		पूँजी	406500	406500
27.	वन	राजस्व	2551435	2551435
		पूँजी	257002	257002
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	564671	564671
		पूँजी	66544	66544
29.	औद्योगिक विकास	राजस्व	643785	2648 646433
		पूँजी		0
30.	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	4390965	4390965
		पूँजी	2071099	2071099
31.	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	809958	809958
		पूँजी	816294	816294
योग :		राजस्व	67843064	12882765 80725829
		पूँजी	25604855	4951594 30556449
महायोग :			93447919	17834359 111282278

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।